राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 222/2015/जयपुर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–तृतीय,वृत–प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स मोहन सिंह एण्ड संस
अजमेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.माहेश्वरी
सी.ए. — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 25-11-16

निर्णय

यह अपील सहायह वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,वृत–प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 128/13–14/वैट/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 22.08.2014 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,45,523/– आरोपित की है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.08.2013 को वाहन संख्या आरजे 27–4186 को सिन्धुनगर, भीलवाडा में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चेक करने पर उसमें माल बिस्किट कार्टून एवं टॉफी का परिवहन जयपुर से भीलवाडा के किया जाना पाया गया। उक्त माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांग जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल संख्या एसपीएफ 581 दिनांक 07.08.2013 एवं एसपीजी 328 दिनांक 07.08.2013 जो मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर द्वारा मैसर्स मोहन सिंह एण्ड संस, अजमेर को जारी किया होना पाया गया एवं मैसर्स कमल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर की बिल्टी नम्बर 9389 जयपुर से भीलवाडा की पेश की गई । जांच पर उक्त माल का परिवहन (डिलीवरी) भीलवाडा होना पाया गया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अवैध दस्तावेजों से माल का परिवहन करना मानकर अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए माल को अधिनियम की धारा 76 (5)(ए) के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच पर पाया गया कि बिल संख्या एसपीएफ 581 दिनांक 07.08.2013 एवं एसपीजी 328 दिनांक 07.08.2013 जो मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर द्वारा मैसर्स मोहन सिंह एण्ड संस, अजमेर को जारी किये

गये हैं। जांच पर यह भी उजागर हुआ कि श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर द्वारा मैसर्स मोहन सिंह एण्ड संस, अजमेर को जारी किया गया है जबकि उक्त माल जयपुर से भीलवाडा मैसर्स किशनचन्द पैरूमल, भीलवाडा के यहां डिलीवरी होना पाया गया एवं जयपुर से भीलवाडा परिवहनि किये जा रहे उक्त कर योग्य का कोई वैट इनवाइस वक्त जांच संलग्न नहीं होना पाया गया है। उक्त तथ्यों के होने से कर निर्धारण अधिकारी ने बिना वैध दस्तावेजों के माल का परिवहन किया जाना मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में मैसर्स मोहन सिंह एण्ड सन्स, अजमेर द्वारा भीलवाडी की पार्टी मैसर्स किशनचन्द पैरूमल को जारी बिल संख्या 5140 व 5141 दिनांक 07.08.2013को सुनवाई तिथि से पूर्व दिनांक 12.08.2013 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसको भूल से वाहन चालक को बताने से रह गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शासित रू. 1,43,523/–आरोपित कर शास्ति आदेश दिनांक 16.08.2013 पारित किया है। उक्त शास्ति से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रू. 1,43,523/–को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2014 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है क्योंकि वक्त चेकिंग वाहन में लदे बिस्किट व ट्रॉफी कार्टून का परिवहन जयपुर से भीलवाडा किया जाना पाया गया है और वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में बिल संख्या 581 दिनांक 07.08.2013 जो मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर द्वारा मैसर्स मोहन सिंह एण्ड संस, अजमेर को जारी होना पाया गया है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी जयपुर से भीलवाडा की बनी हुइ प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि वक्त जांच यह भी उजागर हुआ है कि उक्त परिवनित माल भीलवाडा में मैसर्स किशनचन्द पेरूमल,भीलवाडा के यहां परिवहनित होना पाया गया है तथा उक्त माल का कोई वैट इनवाईस वक्त जांच नहीं पाया गया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) का उल्लंघन होने से नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस की पालना में सुनवाई की तिथि से पूर्व ही दिनांक 12.08.2013 को मैसर्स मोहन सिंह एण्ड संस, अजमेर द्वारा भीलवाडा पार्टी मैसर्स किशनचन्द पेरूमल को जारी बिल संख्या 5140 व 5141 दिनांक 07.08.2013 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसको वाहन चालक को बताने से भूल होना बताया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब

को सन्तोषप्रद नही मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 1,43,523/–आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। उनका यह भी कथन है कि यदि माल की जांच नही की जाती है तो बिल प्रस्तुत नही किये जाते, जिससे करापवंचन किया जाना अवश्यम्भावी था। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 3.8.2007 को उद्धृत करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वक्त चेकिंग पाया गया माल भीलवाड़ा के परिवहनित किया जा रहा था,जिसका माल के बिल भूल से व्यवहारी के पास ही रह रह गया था, यह तथ्य नोटिस की पालना में बताया गया है। उनका कथन है कि परिवहनित माल भीलवाड़ा के लिए परिवहनित माल के बिल कर निर्धारण अधिकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.08.2013 को मै. मोहनसिंह एण्ड संस, अजमेर द्वारा भीलवाड़ा कि पार्टी मै. किशनचन्द पैरूमल को जारी बिल संख्या 5140 दिनांक 07.08.2013 एवं सीओ 5141 दिनांक 07.08.2013 को सुनवाई तिथि से पूर्व ही नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिये गये थे । उनका यह भी कथन है कि मै. श्याम एजेन्सी, जयपुर को उक्त माल जयपुर से भीलवाड़ा परिवहनित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा भीलवाड़ा की फर्म मै. किशनचन्द पैरूमल को इस माल का बिल जारी किया गया था, जो वाहन चालक को बताने से एवं देने से भूल होना बताया। आगे तर्क किया कि उक्त परिवहनित माल पूर्व में अपीलार्थी के यहां अजमेर आना तय था और अपीलार्थी के नाम का बिल संख्या एसपीएफ 581 दिनांक 07.08.2013 एवं एसीपीजी 328 दिनांक 07.08.2013 जो मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर द्वारा मै. श्री मोहनसिंह एण्ड संस, अजमेर को जारी था और अजमेर तक माल परिवहन किया जाना था, तथा इस परिवहनित माल पर वैट भी अपीलार्थी के द्वारा चुकाया गया था। उनका कथन है कि अपीलार्थी की मंशा करवंचना की नहीं थी, तथा परिवहनित माल जयपुर से अजमेर के दौरान तक का वैट चुका बिल संलग्न होना बताया, तथा वही माल ज्यों का त्यों अपीलार्थी के द्वारा भीलवाड़ा में सौदा होने के कारण भिजवाया गया जिसकी जानकारी मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर को दी गयी थी। इस प्रकार परिवहनित माल पर अपीलार्थी की मंशा करवंचना की नही होने के कारण आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मै. डी.पी. मेटल तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी,

भीलवाड़ा बनाम मै. अरूण ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर टैक्स अपडेट वॉल्यूम 39 पार्ट 1 मई 1–15, 2014 पेज 29 एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम, जयपुर बनाम मै. राज ट्रेडर्स, मालपुरा, टौंक टैक्स अपडेट वॉल्यूम 37 पार्ट 1 सितम्बर 1–15, 2013 पेज 18 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

उभय पक्ष की बहस की बहस पर मनन किया तथा विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया। परिवहनित माल मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर के द्वारा प्रेषित अजमेर स्थित अपीलार्थी को किया गया था। उक्त परिवहनित माल के साथ वैट चुका बिल अपीलार्थी को मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी, जयपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित था, अपीलार्थी के द्वारा उक्त माल को अनलोडेट नहीं कर उक्त माल का सौदा भीलवाड़ा के व्यवहारी मै. किशनचन्द पैरूमल, भीलवाड़ा से किया, जिसका वैट चुका बिल अपीलार्थी जो चैंकिंग के दौरान माल के साथ संलग्न था। अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.08.2013 को मै. मोहनसिंह एण्ड संस, अजमेर द्वारा भीलवाड़ा कि पार्टी मै. किशनचन्द पैरूमल को जारी बिल संख्या 5140 दिनांक 07.08.2013 एवं सीओ 5141 दनांक 07.08.2013 को सुनवाई तिथि से पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे नोटिस की पालना हो गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि श्री श्याम एजेन्सी द्वारा बिल अजमेर के मैसर्स मोहन सिंह एण्ड सन्स के नाम से बनाया गया है और उनके निवेदन पर ही माल मैसर्स किशनचन्द पेरूमल,भीलवाडा को डिलीवरी करने हेतु बिल्टी पर स्पष्ट रूप से अंकन किया गया और नोटिस की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शाास्ति आदेश दिनांक 16.08.2013 से पूर्व अर्थात् दिनांक 12.08.2013 को भीलवाडा की फर्म के नाम का बिल प्रस्तुत कर दिया गया है,जिससें उसकी कर चोरी की मंशा जाहिर नहीं होती है। अपीलार्थी की ओर से बहस के दौरान मै. डी.पी. मेटल के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उद्धृत किया गया है,जिसमें मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि भूल से कोई दस्तावेज वक्त चेकिंग प्रस्तुत नहीं किया जाता है और बाद में उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है तो शास्ति आरोपण अथवा दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में नोटिस के जवाब में बताया गया है कि बिल भूल से व्यवहारी के पास ही रह रह गया है ।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का अपने अपलाधीन आदेश में समावेश करते हुए तथा न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण अंकित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का औचित्य नही समझती है । फलस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य